# अध्याय – 2

# बैंक सम्बंधी कार्य

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बचत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों द्वारा की गई बचत को उन लोगों तक पहुँचाना भी जरूरी है जिन्हें इसकी आवश्यकता है तथा जो इसका प्रयोग कर उद्योगों का विकास एवं संचालन करते हैं। इससे बचत करने वालों को ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है तो दूसरी और औद्योगिक विकास के लिये धन उपलब्ध हो जाता है। परन्तु यह प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर नही हो सकती क्योंकि धन/बचत के लेन–देन के लिये दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते होंगे तो ही वे धन का आदान–प्रदान करेंगे। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में व्यक्तिगत परिचय के आधार पर धन का व्यवहार अपर्याप्त ही नहीं बल्कि लगभग शून्य होगा।

बैंक इस समस्या का समाधान करते हुए बचतकर्ता एवं अन्य पक्षों के मध्य सेतू का कार्य करते हैं। सभी बैंक देश की केन्द्रीय बैंक से नियन्त्रित होते हैं। अतः आमजन का उन पर विश्वास भी रहता है। बैंक रूपी इस सेतू के माध्यम से बचत एकत्रित की जाती है जिस पर बचतकर्ताओं को ब्याज दिया जाता है। इस एकत्रित बचत को धन की आवश्यकता वाले पक्षों को दिया जाता है जिससे वह अपनी धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसे बैंक द्वारा ऋण दिया जाना कहते हैं जिस पर बैंक द्वारा धन का उपयोग करने वाले पक्षों से ब्याज लिया जाता है।

## 2.1 बैंक खाते

बचत एकत्रित करने के उद्देश्य से बैंक विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवाते हैं। जिनमें बचतकत्ताओं को उनका खाता खोलने की सुविधा मुख्य है। जिसमें बचतकर्ता अपनी बचत जमा करवा कर इस पर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी बचत को भविष्य में प्रयोग के लिये सुरक्षित भी रख सकते हैं। सभी बचतकर्ताओं की आवश्यकता एक समान नहीं होती है अतः उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक कई प्रकार के खाते खोलने की सुविधा देते हैं। इनमें निम्न चार प्रकार प्रमुख हैः–

(1) **बचत खाता** (Saving Account)

(2) **चालू खाता** (Current Account)

(3) **आवर्ती जमा खाता** (Recurring Deposit Account)

(4) **सावधि जमा खाता** (Fixed Deposit Account)

### (1) बचत खाता :–

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह खाता बचत को प्रोत्साहित करने के लिये खोला जाता है। यह उन लोगों के लिये उपयुक्त है जिन्हें बार–बार धन जमा कराने या निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे – नौकरी पेशा, ग्रहिणी, विद्यार्थी, सेवानिवृत्त इत्यादि। व्यापारी वर्ग के लिये यह खाता उपयुक्त नहीं है क्योंकि उन्हें प्रतिदिन धन राशि जमा करानी अथवा निकलवानी होती है। इस खाते पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है अतः इस खाते में खाता धारक द्वारा खाते के व्यवहार पर कुछ प्रतिबन्ध भी

लगाए जाते हैं। जैसे एक माह में धन निकलवाने की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है। अधिकतर बैंक अपने खाताधारकों की ए.टी.एम. कार्ड (ATM Card) की सुविधा भी देते हैं जिससे खाता धारक बैंक आये बिना ही किसी भी ATM (Automated Teller Machine) से इच्छित धन अपने बैंक खाते से निकलवा सकता है। यद्यपि बैंकों द्वारा इस प्रकार कार्ड से राशि निकलवाने की प्रतिदिन सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अधिकांश बैंक अपने खाताधारकों को एक न्यूनतम धन अपने खाते में सदैव रखने के लिये बाध्य करते हैं। इससे कम शेष हो जाने पर अथवा बैंक द्वारा निर्धारित अन्य किसी निर्देश का पालन न करने पर शुल्क लिये जाने का प्रावधान भी रहता है।

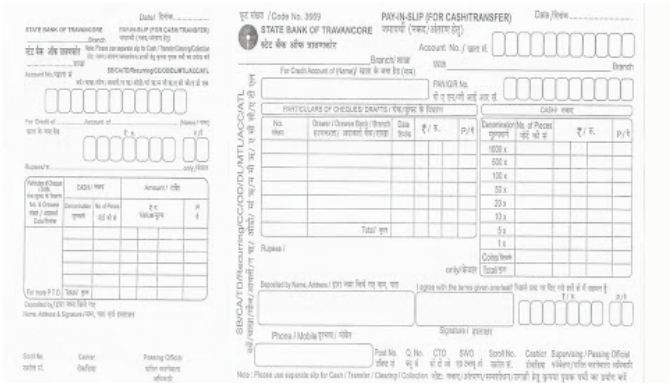


**चित्र 2.1 जमा पर्ची का नमूना**

इस खाते में धन जमा करवाने के लिये जमा पर्ची भरनी होती है जिसमें खाताधारक द्वारा विभिन्न सूचनायें जैसे कि खाताधारक का नाम, खाता नम्बर, जमा करवाई जाने वाली राशि (अंकों में तथा शब्दों में) भरनी होती है तथा व्यवहार की तिथि के साथ हस्ताक्षर करने होते हैं। इस पर्ची में जमा करवाये जाने वाले नोटों का वर्णन भी करना होता है जैसे कि दो हजार के नोटों की संख्या, पाँच सौ के नोटों तथा अन्य नोटों की संख्या।

खाताधारक द्वारा किये जाने वाले पैसे के लेन–देन को दर्ज करने के लिये सामान्यतया बैंक द्वारा एक पुस्तिका दी जाती है जिसे सामान्य भाषा में बैंक पासबुक कहा जाता है। इसमें तिथिवार सभी व्यवहारों अर्थात् खाता धारक द्वारा जमा कराया गया धन, निकलवाया गया धन, बैंक द्वारा खाताधारक को दिया गया ब्याज तथा बैंक द्वारा खाताधारक से लिया गया शुल्क दर्ज किया जाता है। इस बैंक पासबुक में खाताधारक की फोटो के साथ उसके खाते का पूर्ण विवरण होता है। इस पासबुक से किसी भी समय खाताधारक अपने खाते में जमा बचत की वर्तमान स्थिति देख सकता है। इस बैंक पासबुक को एक पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। यह खाता व्यक्तिगत नाम अथवा संयुक्त नाम से खोला जा सकता है।

## (2) चालू खाता :–

बचत बैंक खाते के बिलकुल विपरीत यह खाता बचत को प्रोत्साहित करने के लिये न होकर धन के लेन–देन को सुगम बनाने के लिये खोला जाता है। इस खाते में धन जमा करवाने अथवा निकलवाने की कोई सीमा नहीं होती। खाताधारक कितनी बार भी धन जमा या निकलवा सकते हैं। ऐसा एक दिन में भी

कई बार किया जा सकता है। ऐसी सुगमता विशेषकर व्यापारी वर्ग की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें व्यापार के संचालन में धन का लेन–देन कई बार करना पड़ता है।

इस प्रकार के खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इस खाते पर दी जाने वाली विभिन्न अतिरिक्त सेवाओं के लिये बैंक द्वारा सेवा शुल्क लिया जाता है। यह खाता केवल किसी संस्था अथवा फर्म द्वारा ही खोला जा सकता है जिसका संचालन अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

## (3) आवर्ती जमा खाता :–

इस खाते को अंग्रेजी में Recurring Deposit Account कहते हैं। इस को संक्षेप में RD Account कहा जाता है, जो कि इस खाते का प्रचलित नाम भी है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य भी बचत को प्रोत्साहित करना ही है। यह खाता विशेषकर छोटी परन्तु नियमित बचत को प्रोत्साहित करता है। इसके लिये बैंक द्वारा इस खाते में जमा राशि पर खाताधारकों को बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक दर से ब्याज दिया जाता है।

इस खाते में खाताधारक एक निश्चित राशि तय अवधि के लिये प्रतिमाह जमा करवाता है। यह अवधि समाप्त होने पर खाताधारक को उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि ब्याज के साथ लौटा दी जाती है। इस खाते में उक्त अवधि से पहले धन नहीं निकाला जा सकता है। आवश्यकता होने पर इसे अवधि समाप्त होने से पूर्ण बन्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निश्चित राशि जो खाता खोलते समय तय की गई थी, के अतिरिक्त भी कोई धन जमा नहीं किया जा सकता है। यह खाता व्यक्तिगत अथवा संयुक्त नाम से खोला जा सकता है।

## (4) सावधि जमा खाता :–

यह खाता एक निश्चित राशि को एक निश्चित अवधि तक बैंक के पास रखने के लिये खोला जाता है। यह अवधि अधिकतम 20 वर्ष तक हो सकती है। जमा करवाई गई राशि अवधि समाप्त होने पर ब्याज सहित खाताधारक को लौटा दी जाती है। इस अवधि के मध्य इस खाते में न तो अतिरिक्त धनराशि जमा करवाई जा सकती है और न ही निकलवाई जा सकती है। आवश्यकता होने पर खाताधारक द्वारा अवधि समाप्ति से पूर्व भी यह खाता बन्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा पेनल्टी वसूली जाती है। बैंक खाताधारक द्वारा जमा करवाई गई राशि की एक निश्चित सीमा तक ऋण भी उपलब्ध करवाता है जिसमें धन की आवश्यकता की स्थिति बिना सावधि जमा खाता बन्द किये ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है। बैंक द्वारा इस ऋण पर सामान्यतया सावधि जमा पर दिये जाने वाले ब्याज से 1–2 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूला जाता है।

इस खाते पर अन्य तीन खातों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। इस खाते में जमा धन पर मिलने वाला ब्याज इस अवधि पर निर्भर करता है जिसके लिये खाता खोला गया है। इसमें बैंक द्वारा एक सावधि जमा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें खाताधारक से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, सावधि जमा की अवधि, उस पर मिलने वाला ब्याज, जमा में रखी गई राशि तथा उसका परिपक्वता मूल्य अंकित होता है। यह खाता व्यक्तिगत अथवा संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। उपरोक्त सभी खातों में बैंक द्वारा नामांकन सुविधा दी जाती है जिसमें खाताधारक किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। जो खाताधारक की मृत्यु की दशा में उस खाते में जमा राशि को प्राप्त कर सकता है। आज के तकनीकी युग में उपरोक्त सभी खातों में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा भी बैंकों द्वारा दी

जाती है। जिसके द्वारा खाताधारक बिना बैंक जाये इंटरनेट के माध्यम से उसे दिये गये कोड के द्वारा अपना खाता संचालित कर सकता है।

## 2.2 चैक

चैक बैंक द्वारा खाताधारक को दी गई एक सुविधा है जिसके द्वारा खाताधारक अपने खाते में धनराशि निकाले बगैर किसी को भुगतान कर सकता है। चैक एक प्रकार से खाताधारक द्वारा अपनी बैंक को दिया गया आदेश है जिसमें वह बैंक को उस चैक में लिखी गई राशि उसी चैक में लिखे गये व्यक्ति, संस्था अपना फर्म को देने का आदेश करता है। इसके लिये उसे बैंक नहीं जाना होता बल्कि चैक, जो कि बैंक द्वारा खाताधारक को उपलब्ध करवाया जाता है, मे ही आवश्यक प्रविष्टियाँ भरकर तथा अपने हस्ताक्षर कर भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा चैक प्रस्तुत करने पर बैंक खाताधारक के खाते में राशि उपलब्ध होने की दशा में उसके हस्ताक्षर अपने रिकॉर्ड से मिलान कर आदेशित राशि चैक प्रस्तुत करने वाले को दे देता है।

**चित्र 2.2 चैक का नमूना**

चैक मुख्यतः तीन प्रकार से लिखे जा सकते हैं :–

**(1) धारक चैक** (Bearer Cheque):–

इसमें बैंक द्वारा चैक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को चैक में लिखी गई राशि का भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे चैक पर भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति अर्थात जिसे खाताधारक द्वारा चैक दिया जा रहा है का नाम नहीं लिखा होता। अतः यह चैक जिसके पास है वही उसमें लिखी राशि बैंक से प्राप्त कर लेता है। इस लिहाज से यह चैक जोखिमपूर्ण भी होता है क्योंकि खो जाने की स्थिति में वह व्यक्ति जिसे यह चैक मिले वह बैंक से भुगतान प्राप्त कर सकता है।

**(2) खुला चैक** (Open Cheque):–

यह धारक चैक में मात्र एक प्रकार से भिन्न है। इस प्रकार के चैक में खाताधारक चैक में प्रविष्टियाँ भरते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम भी लिख देता है। ऐसी स्थिति में बैंक चैक में लिखी गई राशि का भुगतान उसी व्यक्ति को करता है जिसका नाम उस पर लिखा है। भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति चैक के पीछे अपने नमूना हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करता है। भुगतान के समय बैंक द्वारा भुगतान प्राप्तकर्त्ता से पुनः हस्ताक्षर लिये जाते हैं। दूसरे हस्ताक्षर का मिलान चैक प्रस्तुतकर्त्ता के चैक पर उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से किया जाता है तथा दूसरा यह कि उसने चैक में निर्दिष्ट राशि प्राप्त कर ली है। कोई खाताधारक चाहे तो स्वयं के नाम भी चैक लिख सकता है। इसके लिये उसे चैक में भुगतान प्राप्त करने

वाले के नाम के लिये दिये गये स्थान पर 'स्वयं' अथवा अंग्रेजी में 'Self' लिखना होता है।

**(4) रेखांकित चैक** (Cromod Cheque):–

यदि खाताधारक यह चाहता है कि चैक की राशि निर्दिष्ट व्यक्ति को नकद न मिले बल्कि उसके बैंक खाते में ही जमा हो तो चैक भरते समय वह चैक के बांयी ओर ऊपर की तरफ दो समानान्तर रेखायें खींच कर उनके बीच में 'Account Payee Only' लिख सकता है। ऐसा करने से चैक की सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे चैक का भुगतान नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खो जाने की स्थिति में तथा अन्य व्यक्ति को मिल जाने की स्थिति में भी उसके द्वारा इसका भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे चैकों द्वारा किया गया लेन–देन सबसे सुरक्षित माना जाता है। ऐसे चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिये चैक धारक को उसे अपने खाते में जमा कराना होता है जिसके लिये बैंक द्वारा मुद्रित जमा पर्ची का प्रयोग किया जाता है। इस जमा पर्ची में चैक का विवरण यथा बैंक का नाम, तिथि, चैक नम्बर तथा चैक की राशि भरनी होती है।

## 2.3 बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भुगतान के रूप में नकद के स्थान पर चैक तभी स्वीकार करता है जब वह उस पर विश्वास करता है कि चैक में लिखी राशि का भुगतान उसे मिल जायेगा। अविश्वास की स्थिति में वह चैक स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर अधिक राशि का भुगतान नकद में भी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बैंक ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार का चैक ही है। अन्तर केवल इतना है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा न लिखा जाकर बैंक द्वारा लिखा जाता है। बैंक द्वारा लिखा जाने के कारण इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

बैंक द्वारा खाताधारक की माँग पर निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम पर निश्चित राशि का तथा एक निश्चित अवधि तक मान्य बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। यह सदैव रेखांकित होता है अर्थात् इसका भुगतान निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अपने खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। खाताधारक की माँग पर बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट जारी करने के बदले खाताधारक से शुल्क लिया जाता है जो कि ड्राफ्ट की राशि पर निर्भर करता है। ड्राफ्ट बनवाने के लिये खाताधारक एक निर्धारित प्रपत्र भरकर बैंक को देता है तथा बैंक को यह भी अधिकार देता है कि ड्राफ्ट तथा उसे बनाने के लिये लगने वाले शुल्क के बराबर राशि उसके खाते में से काट ली जाये। बैंक ड्राफ्ट की राशि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक में खाता न होने की स्थिति में नकद द्वारा भी बनवाया जा सकता है। परन्तु ऐसे ड्राफ्ट केवल सीमित राशि के लिये ही बनाये जाते हैं।

## 2.4 बैंक लाकर्स

विभिन्न खातों के द्वारा ग्राहकों को अपनी धनराशि जमा करवाने की तथा धन की आवश्यकता के समय ऋण देने की सुविधा के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। बैंक लॉकर्स एक बड़े सुरक्षित कमरे में रखे जाते हैं। एक अलमारी में कई खाने बने होते हैं जिसमें प्रत्येक का अपना एक दरवाजा होता है। यह खाने दो से तीन आकारों में होते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को यह लॉकर उपलब्ध करवाने के बदले किराया लेता है जो कि लॉकर के आकार पर निर्भर करता है। लॉकर की चाबी ग्राहक को दे दी जाती है। ग्राहक इन लॉकर्स का प्रयोग अपनी कीमती वस्तुएं, दस्तावेज इत्यादि रखने के लिए करते हैं क्योंकि यह बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। इन पर आग का भी प्रभाव नहीं पड़ता।

लॉकर का संचालन करने के लिए ग्राहक को इस हेतु रखे गये रजिस्टर जिसे 'लॉकर संचालन

रजिस्टर' कहते हैं में अपनी प्रविष्टि यथा नाम, दिनांक, लॉकर खोलने का समय का विवरण लिखना होता है जिसे बैंक का अधिकारी सत्यापित करता है। लॉकर को खोलने के लिए ग्राहक के पास उपलब्ध चाबी के अलावा बैंक के पास रखी एक चाबी भी लगानी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बैंक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने पर ही कि लॉकर का संचालन अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, लॉकर खोला जा सके। यह अधिकारी भी लॉकर संचालन रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करता है।

गैर कानूनी वस्तुएं रखना लॉकर की उन शर्तों का उल्लंघन माना जाता है जिन शर्तों पर यह ग्राहक को उपलब्ध करवाया गया है। आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी नियमानुसार अपने सामने लॉकर खुलवाकर उसमें रखी गई वस्तुओं की वैधानिकता की जाँच भी कर सकता है।

प्रत्येक लॉकर धारक का कर्तव्य है कि वह बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये लॉकर का प्रयोग केवल कानूनी रूप से वैध वस्तुएं रखने के लिए ही करे।

## अभ्यास प्रश्न

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(1) निम्न में से किस खाते में ब्याज नहीं मिलता –

(अ) बचत खाता (ब) चालू खाता (स) आवर्ति जमा खाता (द) सावधि जमा

(2) निम्न में से किस खाते पर ब्याज सर्वाधिक दर से दिया जाता है–

(अ) बचत खाता (ब) चालू खाता (स) आवर्ति जमा खाता (द) सावधि जमा

(3) निम्न में से कौनसा चैक का एक प्रकार नहीं है–

(अ) धारक चैक (ब) खुला चैक (स) प्रार्थी चैक (द) रेखांकित चैक

### लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) चैक क्या है?

(2) बचत खाते तथा चालू खाते में दो अन्तर बताइये।

(3) आवर्ति जमा तथा सावधि जमा में क्या अन्तर है?

### निबंधात्मक प्रश्न

(1) बैंक में खोले जा सकने वाले विभिन्न खातों की व्याख्या कीजिए।

(2) चैक द्वारा किस प्रकार भुगतान किया जाता है? विभिन्न प्रकार के चैकों के गुण–अवगुण का वर्णन कीजिए।

### उत्तरमाला (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) :

1. (ब) 2. (द) 3. (स)